[2018] 3 एससीआर 576

अनु भंडारी

बनाम

प्रदीप भण्डारी

(सिविल अपील सं. 2494 वर्ष 2018)

05 मार्च, 2018

[कुरियन जोसेफ और मोहन एम शांतानागौदर, माननीय न्यायाधीश]

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 - धारा 13 बी - आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद - 1997 में विवाहित प्रतिवादी और अपीलकर्ता, मार्च 2011 से अलग-अलग रह रहे थे, विभिन्न सिविल और आपराधिक मुकदमों में शामिल थे - धारा 13 बी के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा योजित आवेदन - निर्धारित: समझौते के लिए कई प्रयासों के बाद, अंततः पक्षकार एक समझौते पर पहुँच गए जिसके आधार पर उन्होंने आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद माँगा है - वाद की पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में, दोनों के बीच लंबे अलगाव को ध्यान में रखते हुए पक्षकारों ने किसी भी बाहरी कारक से प्रभावित हुए बिना एक सचेत निर्णय लिया है, इसलिए उनके लिए छह महीने की आगे की अवधि तक प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है - तदनुसार, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच आपसी सहमति से विवाह को विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा भंग किया जाता है - निस्तारण के संदर्भ में, पक्षकारों के मध्य सम्पूर्ण मुकदमों को भी समाप्त किया जाता है - पक्षकारों को निस्तारण की शर्तों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। और उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना विषय के संबंध में कोई नया मुकदमा शुरू करने से भी रोक दिया जाता है।

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 - धारा 9 - न्यायालय का कर्तव्य - पर चर्चा की गई।

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने

कहा: 1.1 पक्षकारों ने इस न्यायालय द्वारा किए गए अथक प्रयासों के साथ सहयोग किया है। यह खुशी की बात है कि आखिरकार पक्षकार एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुँच गए हैं। 2018 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 19210 में समझौते की शर्तों को विस्तार से बताया गया है, जिसके आधार पर पक्षकारों ने आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद की मांग की है। उक्त आवेदन इस निर्णय का हिस्सा होगा। मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और निस्तारण के लिए उचित सम्मान रखते हुए, यह न्याय के हित में है कि निस्तारण के संदर्भ में पक्षकारों के बीच पूरे मुकदमों को भी समाप्त कर दिया जाए। [पैरा 3, 4]

1.2 चूंकि सभी विवादों का निस्तारण कर दिया गया है, इसलिए पक्षकारों को कुटुंब न्यायालय के समक्ष एक और चलाना आवश्यक नहीं है। पक्षकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। मुकदमे की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के बीच लंबे अलगाव को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों ने किसी भी बाहरी कारक से प्रभावित हुए बिना एक सचेत निर्णय लिया है और इसलिए, उनके लिए छह महीने की आगे की अवधि तक इंतजार करना

आवश्यक नहीं है। तदनुसार, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह को आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा भंग कर दिया जाता है। उन्हें निस्तारण की शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है और इस न्यायालय की अनुमति के बिना विषय के संबंध में कोई नया मुकदमा शुरू करने से भी रोका जाता है। [पैरा 9 और 10]

2. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 9 के अंतर्गत, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह समझौते पर पहुंचने में पक्षकारों की सहायता करने और उन्हें मनाने का प्रयास करे। कई अन्य कानूनों के विपरीत, विधायिका ने उस संबंध में न्यायालय पर एक कर्तव्य अधिरोपित किया है। अधिकार क्षेत्र केवल एक विवाद का फैसला करने के लिए नहीं है, इसके विपरीत, न्यायालय को न केवल विवादों का निस्तारण करने के लिए बल्कि विवादों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों के बीच सुलह / मध्यस्थता की प्रक्रिया में भी खुद को शामिल करना होगा। न्यायालय के इस तरह के समय पर हस्तक्षेप से न केवल विवादों का समाधान होगा और पक्षकारों को शांति से निपटाया जा सकेगा, बल्कि पक्षकारों के बीच छिटपुट मुकदमों को भी रोका जा सकेगा। [पैरा 14]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2494 वर्ष 2018

सिविल पुनरीक्षण संख्या 3430 वर्ष 2014 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 11.04.2016 के निर्णय और आदेश से

के साथ

सिविल अपील संख्या 2495 वर्ष 2018

सुब्रमण्यम प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री वरुणा भंडारी गुगनानी, भक्ति वर्धन सिंह, अमित कुमार पाठक, तुषार थारेजा, विकास सिंह जांगड़ा, सिद्धार्थ अय्यर, एच. पाल सिंह, सुश्री रूचि कोहली, गौरव गिलहोत्रा, सुश्री रजिता (टीएच), सुरिंदर कुमार गुप्ता, सलाहकार। उपस्थित पक्षकारों के लिए अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति कुरियन द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. अपीलकर्ता और प्रतिवादी के दस वर्षीय पुत्र मास्टर विभु द्वारा न्यायालय को भुगतान किया गया यह समृद्ध प्रतिदान है। आज न्यायालय में उपस्थित छोटा बच्चा बहुत प्रसन्न है और उसने अपनी मां और पिता के बीच सभी विवादों और मुकदमों के निस्तारण पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक हस्तनिर्मित कार्ड प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता मांगी। उनका विवाह 18.05.1997 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। उनके दो बच्चे हैं - भुवी, बड़ी बेटी का जन्म 19.04.1998 को और विभु, बेटा 31.01.2008 को हुआ था। वैवाहिक कलह और मनमौजी मतभेदों के कारण वे मार्च, 2011 से अलग रह रहे हैं। वे विभिन्न मुकदमेबाजी में शामिल हैं, सिविल के साथ-साथ आपराधिक भी। वर्तमान में 23 मामले विभिन्न न्यायालयों - विचारण न्यायालयों, उच्च न्यायालयों, इस न्यायालय और एक उपभोक्ता फोरम के समक्ष लंबित हैं।

3. निस्तारण के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इनमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश माननीय श्रीमती लीजा गिल और इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा का हस्तक्षेप उल्लेखनीय था। यह देखते हुए कि अब तक के सभी प्रयास पूरी तरह से फलदायी नहीं रहे हैं, हमने पक्षकारों को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। पक्षकारों ने इस न्यायालय द्वारा किए गए अथक प्रयासों के साथ सहयोग किया है। यह खुशी की बात है कि आखिरकार दोनों पक्ष एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंच गए हैं। 2018 के अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 19210 में समझौते की शर्तों को विस्तार से बताया गया है, जिसके आधार पर पक्षों ने आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद की मांग की है। 2018 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 19210 इस फैसले का हिस्सा होगा।

4. चूंकि पक्षकारों ने अंततः अपने पूरे विवादों को हल कर लिया है, इसलिए उन्होंने पूरे व्यावहारिक और आपराधिक मुकदमों को शांत करने के लिए प्रार्थना की है। मामलों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और निस्तारण के संबंध में हमारा विचार है कि यह न्याय के हित में है कि पक्षों के बीच पूरे मुकदमों को भी समाप्त कर दिया जाए।

5. तदनुसार, निम्नलिखित मामलों को रद्द किया जाता है: -

क्र. सं.	वाद सं.	न्यायालय/प्राधिकारण
1.	आपराधिक शिकायत संख्या 162/14	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़
2.	आपराधिक शिकायत संख्या 1359/16	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़
3.	पीएचसी 1430/14	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़
4.	अप्राप्य 156/2016	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़
5.	वाद सं. 301/13 दिनांक 14.6.13	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़
6.	वाद सं. 464/13	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़
7.	एफआईआर नंबर 0167 दिनांक 25.8.2017 थाना सिटी फगवाड़ा	फगवाड़ा शहर

2. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ 3. | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ 4. |न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ एफ 5. | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ केस नंबर 464/13 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ जी 7। |एफआईआर नंबर 0167 दिनांक 25.8.2017 पी.एस.] पी.एस. सिटी फगवाड़ा शहर फगवाड़ा

6. निम्नलिखित मामलों को रद्द किया जाता है: -

क्र. सं.	वाद सं.	न्यायालय/प्राधिकारण
1.	सिविल वाद संख्या 12905/13	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़
2.	आपराधिक वाद सं 570 वर्ष 2016	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़
3.	आपराधिक वाद सं 305 वर्ष 2015	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़
4.	निष्पादन प्रार्थना पत्र सं. 543/14	अपर जिला जज, चंडीगढ़
5.	सिविल वाद सीएस सीजे सं. 1072/2016	जेएमआईसी, चंडीगढ़

6.	ग्राम मलोया, चंडीगढ़ की म्यूटेशन सं. 8303	उप-संभागीय मजिस्ट्रेट ग्राम मलोया, चंडीगढ़ (दक्षिण) यूटी चंडीगढ़

7. समझौते के अनुसार निम्नलिखित मामलों का निस्तारण किया जाता है -

क्र. सं.	वाद सं.	न्यायालय/प्राधिकारण
1.	सीआरएम सं. एम -1087 वर्ष 2017	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
2.	सीआरएम सं. एम -10620 वर्ष 2017	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
3.	सीआरएम सं. एम -14499 वर्ष 2017	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
4.	सीआरएम सं. एम -7865 वर्ष 2017	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
5.	सीआरएम सं. एम -7622 वर्ष 2017	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
6.	सीआरएम सं. एम -31885 वर्ष 2017	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
7.	सीआरएम सं. एम -22474 वर्ष 2017	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

सुश्री अनु भंडारी द्वारा योजित 2014 का उपभोक्ता मामला संख्या 580 चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1, यूटी चंडीगढ़ के समक्ष लंबित है।

8. 2018 की सिविल अपील संख्या 2494 सुश्री अनु भंडारी द्वारा दायर 2016 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15537 से उत्पन्न होती है, जो 2014 के सिविल संशोधन संख्या 3430 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 11.04.2016 के आदेश से व्यथित है। 2018 की सिविल अपील संख्या 2495 प्रदीप भंडारी द्वारा दायर 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 2343 से उत्पन्न होती है, जो 2014 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 3430 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 11.04.2016 के आदेश से व्यथित है।

9. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी के अंतर्गत पक्षकारों द्वारा दायर आवेदन ही बचता है। चूंकि हमने सभी विवादों का निस्तारण कर लिया है, इसलिए हमें नहीं लगता कि उन्हें कुटुंब न्यायालय के समक्ष एक और मुकदमे के लिए भेजना आवश्यक है। पक्षकार हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मुकदमेबाजी की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के बीच लंबे अलगाव के संबंध में, हम आश्वस्त हैं कि पक्षकारों ने किसी भी बाहरी कारकों से प्रभावित हुए बिना एक सचेत निर्णय लिया है। इसलिए, उनके लिए छह महीने की आगे की अवधि तक इंतजार करना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, अनु भंडारी और प्रदीप भंडारी के बीच विवाह को आपसी सहमति से विवाह-विच्छेद की डिक्री द्वारा भंग कर दिया जाता है।

10 अपीलकर्ता और प्रतिवादी को निस्तारण की शर्तों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। उन्हें इस न्यायालय की अनुमति के बिना विषय के संबंध में कोई भी नया मुकदमा शुरू करने से भी रोका जाता है।

11. दिनांक 15.02.2018 के हमारे आदेश में, वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए थे:

प्रदीप भंडारी को वर्ष 2007-2008 की जमाबंदी के अनुसार तहसील और जिला पंचकूला के गोलपुरा गांव में खेवट नंबर 159, खतौनी नंबर 176, खसरा 46/2 (20-0) में स्थित कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

12. संबंधित तहसीलदार को अनु भंडारी, भुवी भंडारी और मास्टर विभु भंडारी के पक्ष में आदेश में संदर्भित संपत्ति के संबंध में आवश्यक हस्तांतरण करने और उत्परिवर्तन को बदलने का निर्देश दिया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री प्रदीप भंडारी का हिस्सा तीनों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। यह तुरंत किया जाएगा।

13. हमें सूचित किया जाता है कि दिनांक 14.06.2013 के 2013 के वाद सं. 301 में सुश्री अनु भंडारी के नाम पर 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) की राशि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ के पास डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पड़ी हुई है। हम संबंधित न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह श्री प्रदीप भंडारी को डिमांड ड्राफ्ट तुरंत वापस करे। श्री प्रदीप भंडारी को निर्देश दिया जाता है कि वह एक सप्ताह के भीतर सुश्री अनु भंडारी को 50,000/- रुपये की राशि का भुगतान करें।

14. निर्णय से अलग होने से पहले, हम यह देखने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि जो बंद किया गया है वह केवल तेईस मामले नहीं हैं; दोनों पक्षों की पृष्ठभूमि में, वे आने वाले वर्षों में आसानी से कई और मुकदमों के लिए चले गए होंगे। परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 9 के अंतर्गत, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह समझौते पर पहुंचने में पक्षकारों की सहायता करने और उन्हें मनाने का प्रयास करे। कई अन्य कानूनों के विपरीत, विधायिका ने उस संबंध में न्यायालय पर एक कर्तव्य डाला है। अधिकार क्षेत्र केवल एक विवाद का फैसला करने के लिए नहीं है, इसके विपरीत, न्यायालय को न केवल विवादों को निपटाने के लिए बल्कि विवादों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों के बीच सुलह / मध्यस्थता की प्रक्रिया में भी खुद को शामिल करना होगा। न्यायालय के इस तरह के समय पर हस्तक्षेप से न केवल विवादों का समाधान होगा और पक्षकारों को शांति से निपटाया जा सकेगा, बल्कि पक्षकारों के बीच छिटपुट मुकदमों को भी रोका जा सकेगा।

15. हम माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती लिसा गिल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त वरिष्ठ वकील द्वारा किए गए कठोर प्रयासों और दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण और स्वयं पक्षों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करते हैं।

16. सिविल अपीलों का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

17. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अनुवादकर्ता

अपीलें निस्तारित

मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय